(a) the number of applications pending for grant of freedom fighters' pension before the Screening Committee appointed by Government;

(b) what is the number of applications cleared during the current year; and

(c) by when the remaining applications a likely to be cleared ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED) : (a) to (c) At present 372 applications for grant of Swatantrata Sainik Samman Pension are pending consideration and advice of the Hyderabad Special Screening Committee appointed by the Government. No application could be considered by the Committee during the current financial year. As no official records are available in respect of the claims made in the applications, the Committee is expected to make detailed examination of each case which at times includes personal interview/discussions with the applicants and camp incharges. As such, it would be difficult to lay down any definite time schedule for disposal of these claims.

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का ब्योरा

1127. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों, अर्थात् 1992 और 1993 के दौरान कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई ;

(ख) उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) 1992 और 1993 में जिन स्वतंत्रता सेनानियों को (विधवाओं, आश्रित, अविवाहित बेरोजगार लड़कियों सहित) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई है उनकी संख्या का, राज्यवार एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 31-3-1982 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का कम से कम एक बार निपटान कर दिया गया है और आवेदकों को निर्णय से अवगत करा दिया गया। 31-3-1982 के बाद प्राप्त 777 दावे 1-2-1994 को सरकार के पास विचारार्थ थे। इन दावों पर जल्दी निर्णय लेने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि उनके निपटान के बारे में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना कठिन होगा क्योंकि राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करने के काफी समय लगता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई	
		1992	1993
1	आंध्र प्रदेश	484	19
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	5	0
4	बिहार	141	62

		1992	1993
5	गोवा	13	7
6	गुजरात	16	2
7	हरियाणा	32	17
8	हिमाचल प्रदेश	12	4
9	जम्मू और कश्मीर	8	1
10	कर्नाटक	107	5
11	केरल	23	8
12	मध्य प्रदेश	10	2
13	महाराष्ट्र	96	9
14.	मणिपुर	0	0
15	मेघालय	0	0
16	मिजोरम	0	0
17	नागालैंड	0	0
18	उड़ीसा	3	1
19	पंजाब	28	4
20	राजस्थान	11	2
21	सिक्किम	0	0
22	तामिलनाडु	9	0
23	त्रिपुरा	1	0
24	उत्तर प्रदेश	66	6
25	पश्चिम बंगाल	133	19
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
27	चंडीगढ़	.	2
28	दादर और नागर हवेली	0	0
29	दमण और दीव	0	33
30	दिल्ली	11	3
31	लक्षदीप	0	0
32	पांडिचेरी	1	4
33	आजाद हिन्द फौज	17	16
	योग	1195	233